

## भाग—IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने का अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।</p>	<p>सीधी जिले में ग्रान्तमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मायापुर खुटेली लौआर रोड से बिछरी रोड तक मार्ग के उन्नयन/डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सीधी को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।</p>
----	--	--

तिथि:—31.03.2021

स्थान:— भोपाल।

  
 (SUNIL AGRAWAL)  
 Addl. P.C.C.F. (L.M.)  
 Madhya Pradesh, Bhopal